

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2833
03 अगस्त, 2022 को उत्तर के लिए

सेल में कर्मचारियों का वेतन समझौता

2833. श्री विजय बघेल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सेल के कर्मचारियों के वेतन के संबंध में समझौता जापन होने के बाद भी लंबे समय से यह समझौता लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा वेतन समझौते पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री फगन सिंह कुलस्ते)

(क) और (ख) : दिनांक 22.10.2021 के समझौता जापन के अनुसार, कर्मचारियों के मूल वेतन को फिटमेंट लाभों और 100% मंहगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण(न्यूट्रालाइजेशन) के साथ संशोधित किया गया है। संशोधित अनुलब्धियों के लिए भुगतान भी शुरू हो गया है। इसके अलावा, किए गए समझौते के अनुसार, वेतन मान, समझौता जापन का मसौदा तैयार करने, कैफेटेरियाएप्रोच आदि के तहत परिवर्तनीय अनुलब्धियों और भत्ते जैसे अन्य मामलों पर इस्पात के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) की उपसमिति का गठन किया गया है जिसमें कर्मचारी और प्रबंधन शामिल हैं।

वर्तमान में, उपसमिति ने वेतन मानतथा अनुलब्धियों और भत्तों पर ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जिन्हें इस्पात के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) ने दिनांक 19.07.2022 को हुई अपनी पिछली बैठक में अपनाया है और ये कार्यान्वयन के लिए विचाराधीन हैं।
